

कम्प्यूटर परिपत्र सं० - २०२१०३३ दिनांक ०७-१२-२०२०

पत्र संख्या-आई०टी०-जी०एस०टी० पंजीयन / 2020-21 / 762 / वाणिज्य कर
कार्यालय कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(आई०टी०-अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक:: ०७ दिसम्बर, 2020

**समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**

जी०एस०टी०एन० द्वारा उपलब्ध कराये गये Boweb Module पर कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा निरस्त किये गये पंजीयन को Module में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार Cancel किये जाने के उपरान्त भी उन व्यापारियों का Status Cancel न होने के सम्बंध में कई प्रकरण मुख्यालय को सूचित किये गये हैं। ऐसे प्रकरणों में Record Search करने पर निरस्तीकरण ओदश उपलब्ध होता है परन्तु "Get Tax Payer Detail" में व्यापारी का पंजीयन Status Active दिखता है। इस सम्बंध में GSTN द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त तकनीकी समस्या का निराकरण कर लिया गया है। यदि ऐसे समस्त निरस्तीकरण आदेश कर निर्धारण अधिकारियों के Suo moto Cancellation में उपलब्ध करा दिया गया है। ऐसे प्रकरणों में उनका निरस्तीकरण आदेश पुनः अपलोड किया जाना अपेक्षित है। अतः समस्त कर निर्धारण अधिकारी/पंजीयन प्राधिकारी अपने Login पर उपलब्ध ऐसे समस्त प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर निरस्तीकरण सुनिश्चित करेंगे जिससे इन व्यापारियों द्वारा किसी प्रकार की करापवंचन सम्बंधी कार्यवाही को रोका जा सकेगा।

यदि ऐसे कोई GSTIN पंजीयन अधिकारी के Login पर उपलब्ध नहीं है तो ऐसे GSTIN की लिस्ट Excel format में, डैसबोर्ड के स्क्रीनशॉट के साथ Suo moto Cancellation का Link प्रदर्शित करते हुए विभागीय ई-मेल आई०डी०-ctithqlu-up@nic.in पर ई-मेल करना सुनिश्चित करें। इस ई-मेल के साथ निम्न सूचनाएं भी ई-मेल किया जाना आवश्यक होगा।

Tax Official details in excel sheet (Soft copy):-

- i- Name
- ii- Designation
- iii- E mail-ID
- iv- Mobile No.
- v- GSTIN /ARN/UIN/Temp Id
- vi- Jurisdiction
- vii- User Name
- viii- State-UP

उक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सम्पादित करना सुनिश्चित करें।


(अमृता सोनी)

कमिशनर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।